शोध मंथन Vol. XV No.II Apr.-June 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

डा० भीमराव अम्बेडकर और नारीवादी चिंतन

प्राप्तिः 22.05.2024
स्वीकृतः 26.06.2024

डॉ० कुमारी अनुपमा
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्रीमती बी०डी० जैन गर्ल्स (पी०जी०) कॉलेज
आगरा छावनी, आगरा
ईमेलः *anupamasurendra42@gmail.com*

36

सारांश

मनुष्य यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुये अपनी सुप्त प्रतिभाओं के जागरण का प्रयास करे तो वह युगों–युगों तक इतिहास के पृष्ठों की जीवंत झांकी बन सकता है। आज से वर्षों पूर्व हमारे समाज में एक ऐसे व्यक्तित्व हुये जिन्होंने अपने त्याग और परिश्रम के बल पर अपने जीवन को दूसरों के लिये प्रेरणा स्त्रोत बना दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में हम ऐसे महान व्यक्तित्व डा० अम्बेडकर के नारीवादी विचारों के बारे में बात करेंगे, जो एक विधिवेता, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और समाज– सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। जिन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध अभियान चलाया तथा श्रमिकों, किसानो, महिलाओं एवं समाज के शोषित लोगों के लिये एक मजबूत आवाज बने। ऐसे महान व्यक्तित्व, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतरत्न डा० भीमराव रामजी अम्बेडकर के नारीवादी विचारों का भारतीय समाज के संदर्भ में विश्लेषण करेंगे।

डा० अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्यप्रदेश के इंदौर जनपद के मडूछावनी ग्राम में हुआ था। डा० अम्बेडकर का जन्म महार जाति में होने के कारण कई बार नहीं बल्कि जीवन के हर दिन को संघर्षों से भर दिया। लेकिन बात जब शिक्षा के प्रति उनके प्रेम और समर्पण की आती है तो कड़े संघर्ष भी उनका रास्ता रोक न सकी। मुम्बई एलफिन्सटन कॉलेज से लेकर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डा० अम्बेडकर ने तमाम डिग्रीयाँ हासिल की जिसमें एम०ए०, पी०एच०डी०, एम०एस०सी०, डी०एस०सी० एवं बॉरएटेला की शैक्षणिक उपलब्धियाँ हासिल की। संभवतः अपने समय में डा० अम्बेडकर शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्तियों में सबसे अग्रणी थे। नेहरू मंत्रीमण्डल में उन्हें प्रथम कानून मंत्री बनाया गया तथा संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान लिखने में डा० अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जहाँ तक डा० अम्बेडकर को जानने और समझने और उनकी प्रसिद्धि की बात है तो लोग उन्हें दलितों और पीछड़ों के मसीहा के तौर पर जानते हैं। संविधान के शिल्पीरकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन जब महिलाओं के अधिकार और उनकी स्थिति सुधारने की बात हो तो वहाँ डा० अम्बेडकर की उपेक्षा हो जाती है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि महिलाओं को सशक्त

बनाने में डा० अम्बेडकर की भूमिका, उनकी समझ एवं उनकी तार्किकता किसी भी अन्य समाज सुधारक से अधिक है।[1]

डा० अम्बेडकर ने समता, न्याय और बन्धुत्व पर आधारित समाज निर्माण के प्रयास में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो समाज के हर वंचित वर्गों को न्याय दिलाना चाहते थे। जिसमें महिलाओं के लिये भी समाज में उचित स्थान और बराबरी का हक दिलाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। उनका मानना था कि यदि हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को स्वीकार करके ही उसे प्राप्त कर सकते हैं।

1938 के बाम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में डा० अम्बेडकर ने Factory worker के लिये ''पेड मैटरनीटी लीव'' की गारंटी देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। उनके अनुसार नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस अधिनियम के साथ उन्होंने कामकाजी वर्ग की महिलाओं के बीच मातृत्व के आर्थिक और उत्पादक पहलूओं पर ध्यान केंद्रित करके वर्ग और लैंगिक चेतना दोनों का प्रदर्शन किया। डा० अम्बेडकर ने महिलाओं के ''गर्भपात अधिकार'' और उनके शरीर पर स्वयं के अधिकार की खुलके बातें की।[2] वर्ष 1942 और 1946 के बीच, इन्होंने विभिन्न महिला समर्थक कानून भी बनाये, जिसमें समान श्रम के लिये समान वेतन, आकास्मिक और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी, चोट मुआवजा और पेंशन शामिल थे।

डा० अम्बेडकर का महिलाओं को उनकी आवाज देने की दिशा में उनके प्रयास केवल उनके लेखन या शब्दों तक ही सीमित नहीं थे। डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में आंदोलन महिला समावेशी थे। उन्होंने घोषण की मैं महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। यदि उन्हें वास्तव में विश्वास में लिया जाय तो वे समाज की वर्तमान तस्वीर को बदल सकते हैं जो बहुत दयनीय है। डा० अम्बेडकर का महत्वपूर्ण नारा था –

Be educated (शिक्षित बनो)

Be Organised (संगठित रहो)

Be Agitated (संघर्ष करो)

वहीं महिलाओं के सम्बन्ध में उनका कहना था

- ➔ Unity is meaningless without the accompaiment of women.
- ➔ Education is fruitless without educated women.
- ➔ Agitation is incomplete without the strength of women.[3]

अब जहाँ तक स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति की बात थी वो कई रूढ़ीवादी बंदिशों में कैद थी। स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिये कई आंदोलन किये गये। आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया भारत के पहले कानून मंत्री डा० भीमराव अम्बेडकर थे। सन् 1951 में उन्होंने ''हिंदू कोड बिल'' संसद में पेश किया। उनका मानना था कि वास्तविक अर्थ में प्रजातंत्र तब आयेगा जब महिलाओं को पैतृक

सम्पत्ति से लेकर पुरुषों के समान हर *क्षेत्र मे अधिकार* मिलेंगे। डा० अम्बेडकर के समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे था। उन्होंने महिलाओं से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण प्रावधान बनाने पर जोर दिया जो महिला स्थिति सुधार के लिये कारगर साबित हुआ। आजाद भारत के पहले कानूनमंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिये कई कदम उठाये।

डा० भीमराव अम्बेडकर महिला अधिकारों के बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या हैं? किसी भी देश की उन्नति एवं विकास के लिये महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। डा० अम्बेडकर का महिलाओं के संगठन में अत्यधिक विश्वास था। उनका कहना था कि महिलाओं औस बच्चों को शिक्षित बनाइए। शिक्षा त्वरित परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करती है। उनके दिमाग में यह बात डालिए कि महान बनना उनकी नियति है। महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। अपनी लेखनी के माध्यम से समान में व्याप्त लिंग असमानता के मुद्दे को उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया।

संविधान निर्मित करते समय, राज्य प्रायोजित किसी भी संख्या में लिंग आधारित भेदभाव के विरूद्ध कठोर दण्ड व्यवस्था डा० अम्बेडकर के नारी उत्थान के उद्देश्य का केंद्रबिन्दू माना जा सकता हे। उन्हीं के प्रयासों से संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान की व्यवस्था की गई है जो महिलाओं के विशेषाधिकारों से संबंधित है। जिनके द्वारा भारतीय समाज की महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

डा० अम्बेडकर इस बात से भली–भांति परिचित थे कि महिलाओं की स्थिति को केवल उपदेश देकर नहीं सुधरने वाली है, उसके लिये कानूनी व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में डा० अम्बेडकर का 'हिन्दू कोड बिल' प्रस्तुत करना एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने भारत की बेटियों के लिये ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, सम्पत्ति और तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात की गई। वास्तव में डा० अम्बेडकर का मानना था कि जब तक समाज की मानसिक सोच नहीं बदलेगी तब तक महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में व्यवहारिक सोच विकसित नहीं हो पायेगी। पर विडम्बना यह था कि बिल संसद में पारित नहीं हो पाया। 'हिंदू कोड बिल' का विरोध करने वालो का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। संसद में जहाँ जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदूवादी पक्ष इसका विरोध कर रहा था तो वहीं संसद के बाहर हारिहरानन्द सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था।[6]

हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाहते थे, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। यद्धपि फरवरी 1949 में संविधान सभा की बैठक में नेहरू ने कहा था,'' इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार बिना इसे पास कराये सत्ता में रह ही नहीं सकती।'' वहीं डा० अम्बेडकर 'हिंदू कोड बिल' पारित करवाने को लेकर काफी चिंतित थे। वे कहते थे ''मुझे

भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी'' 'हिन्दू कोड बिल' पास कराने में है। लेकिन 'हिन्दू कोड बिल' पास न हो सका।

हालांकि प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद पंडित नेहरू ने 'हिंदू कोड बिल' को कई हिस्सों में बांटकर कई एक्ट बनाए जैसे– ''हिंदू मैरिज एक्ट 1955'' ''हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956'' ^fganw n=d xg.k vkSj ik'k.k vf/kfu; e** ^fganw o; Ldrk vkSj laj{kd vf/kfu; e** vkfnA[7]

निशिचित तौर पर इन कानूनों ने महिलाओं की स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बाद के वर्षों में इन्हीं कानूनों को आधार बनाकर भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बेहतरी के लिये एक के बाद एक अधिनियम बनते गये। जैसे हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005, कानून के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। इस संशोधन ने पुरूष और महिला भाई–बहनों के संपत्ति अधिकारों को बहुत संतुलित किया है।

11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुये एक बार फिर समाज के उस जनमानस में चेतना लाने का प्रयास किया है जो ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके सामाजिक मान्यताओं के मुगालते में जी रहा है।[8]

अतः उपर्युक्त चर्चा के माध्यम से हम पाते हैं कि लैंगिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर अम्बेडकर का दृष्टिकोण वर्तमान संदर्भ में मजबूत प्रासंगिकता रखता है और भविष्य में भी अपनी तार्किक सुसंगतता, समतावादी दृष्टिकोण और समृद्ध नैतिक मूल्यों के लिये प्रासंगिकता प्रदान करना चाहता है महिलाओं के उत्थान के लिये उनकी चिंता, महिलाओं के लिए कानून बनाने में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र, धर्म, भाषा, जाति और वर्ग की हो। उनका नारीवादी दर्शन अन्य विषयों में उनके योगदान की तरह सामाजिक दर्शन के तीन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात् स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और यह उनके लेखन, भाषणों और व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

संदर्भ

1. मून, वसंत. (2017). डा० बाबा साहेब अम्बेडकर. पृष्ठ 193.
2. कुमारी, अंतिमा. (2019). अम्बेडकरवादी स्त्री चिंतन. समाजिक सरोकारों के बुनियादी स्वर, गुरू रविदास, संत कबीर और डा० अम्बेडकर के विशेष संदर्भ में. पृष्ठ 143.
3. (2024). Leverageedu.com/blog/ni/dr.bhimrao-ambedkarbiography-in-hindi. डा० भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय।
4. जाफ्रलो, डिस्तोफ. (2019). भीमराव अम्बेडकर एक जीवनी।
5. प्रसाद, डा० गोपाल., नारवाल, डा० महावीर. (2019). रिबिजीटिंग भीमराव अम्बेडकरः ए स्टडी ऑफ सोशल सांइस एंड पॉलिटिकल जस्टिस।
6. गुप्ता, शुभम. (2021). जीवनी डा० भीमराव अम्बेडकर।
7. आर्या, सुनीता. (2021). जेण्डर एण्ड रेसियल जस्टिस. टृष्वसण प्ट. बी०आर० अम्बेडकरः ए क्वेस्ट फॉर जस्टिस. पृष्ठ 89–113.